न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर

अपील संख्या 12/197/2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021/472

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र लीलाराम शर्मा,
नि0 खेरली तरफ नूनिया पोस्ट–नाटोज वाया खेरली,
जिला–अलवर (राज.)

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर

प्रवेश तिथि :: 02.11.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 23.11.2021

1. अपीलार्थी अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्रीमती वन्दना शर्मा, कनिष्ठ सहायक उपस्थित। जवाब नोटिस पेश किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 11.09.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत नाटोज के ग्राम खेरली तर्फ नूनियाँ work 2020/021/84144 सार्वजनिक सबमर्सिबल मोटर युक्त बोरिंग मय पानी की टंकी निर्माण कार्य पत्रावली के संबंध में वर्क ऑर्डर, तकमीना आदि 04 बिन्दुओं के संबंध में प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा पत्रांकः जिपअ/RTI/अन्तरण/2021/9526–27 दिनांकः 22.09.21 के माध्यम से अपीलार्थी का आवेदन दिनांकः 11.09.2021 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नाटोज, पंचायत समिति कठूमर (अलवर) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया गया।
5. उक्त अन्तरण के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नाटोज, पंचायत समिति कठूमर (अलवर) के कार्यालय से संबंधित है यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नाटोज, पंचायत समिति कठूमर (अलवर) द्वारा प्रकरण में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है तो उक्त कार्यालय के प्रथम अपील अधिकारी **सरपंच, ग्राम पंचायत नाटोज, पंचायत समिति कठूमर (अलवर)** को उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील पेश की जा सकती है। इस न्यायालय से कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।
7. उक्त आलोक में अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित ।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर, अलवर